

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 8(2) राज/वाद/12

जयपुर, दिनांक 21-09-2023

:: आदेश ::

नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय कपासन जिला चित्तौडगढ में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014-00-114-01-00-01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैण्ड/ग्रेड पे
1	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कपासन जिला चित्तौडगढ	01	रु 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	कनिष्ठ सहायक	01	5200-20200, एल-5 ग्रेड पे- 2400/-
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	5200-20200, एल-1, ग्रेड पे -1700/-

उपरोक्त नवसृजित कार्यालय हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014-00-114-01-00-05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावे:-

क्र०सं०	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	02	10,000/-	20,000/-
2	कुर्सी	08	4000/-	32,000/-
3	आलमारी	02	15,000/-	30,000/-
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	-	10000/-	10,000/-
			योग	92,000/-

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर कय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं० 102302075 दिनांक 18.09.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,

६०
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विधि।
5. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चित्तौडगढ।
6. अपर जिला न्यायाधीश, कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. विशिष्ट शासन सचिव, गृह(विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
8. जिला कलक्टर, चित्तौडगढ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आईटम चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करते हुए कय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराये।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
10. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ।
11. संबंधित कार्यालय।
12. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

३०
21/9/23
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि